तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सप्लाई विविध प्रकरण सं. 01/2020** **प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, जोधपुर बनाम अन्शु ऑटो रिपेयर्स पाल लिंक रोड, जोधपुर।**

25-02--2020

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये प्रर्वतक निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 –ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सहपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण व प्रदाय नियंत्रण आदेश के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध सर्वप्रथम न्यायालय, जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां पेश किया है। प्रकरण स्थानान्तरण से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया जिसमें वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 13.12.2019 को रसोई गैस कालाबाजारी तथा दुरूपयोग पर रोकथाम के क्रम में प्रवर्तक निरीक्षक ने अन्शु ऑटो रिपयर्स का रूबरू निरीक्षण किया गया तथा मौके पर गैस की टंकियो पर गैस रिफिलिंग की दो मुहँ की बिना मार्का की इलेक्ट्रीक मोटर से जोड़ा जा रहा था एवं उसे ISO मार्का 9001–2008 E G Tech की इलेक्ट्रीक वेविग मशीन पर रखा हुआ था। घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अवैध रूप से अन्य सिलेण्डर को भरने में काम में लिये जा रहे 4 एचपीसीएल गैस सिलेण्डर, एक डबल मुहँ वाली लोकल ब्रांड की रिफिलिंग मशीन जिसके दोनो तरफ गैस भरने वाले वाल्व लगे हुए तथा एक वजन तौलने वाली E G Tech ब्रांड की आई0 एस0 आई0 मार्का इलेक्ट्रीक मशीन पाई गई। उक्त सामाग्री को जब्त किया जाकर उम्मेदसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया आनावास को 15,000 रूपये अमानत पर सक्षम न्यायालय के अग्रिम आदेश तक गोदाम में सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द किया गया।

गैस सिलेण्डर के सीरियल नम्बर	कंपनी	कुल वजन (किग्रा)	अंकित वजन (किग्रा)	गैस का वजन (किग्रा)
150963T	एच0पी0	29.4	15.4	14
253712E	एच0पी0	16.4	15.8	0.6
912758S	एच0पी0	29.7	15.7	14
237464E	एच0पी0	29.8	15.7	14.1

इस प्रकार घेरलू गैस सिलेण्डर का अन्य सिलेण्डर में भरने का कृत्य एवं अवैध सिलेण्डर संग्रहीत रखने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a) (b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्राथी को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 बी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का जारी किया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। अतः इस प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

इस प्रकार घेरलू गैस सिलेण्डर का अन्य सिलेण्डर में भरने का कृत्य एवं अवैध सिलेण्डर संग्रहीत रखने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a) (b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से विभागीय कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश है कि वह उक्त सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राज्य कोष में जमा करायी जाये। एक डबल मुहँ वाली लोकल ब्रांड की रिफिलिंग मशीन जिसके दोनो तरफ गैस भरने वाले वाल्व लगे हुए तथा एक बजन तौलने वाली E G Tech ब्रांड की आई0 एस0 आई0 मार्का इलेक्ट्रीक मशीन पाई गई को ऊंची से ऊंची बोली पर निलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में जमा करावें। आदेश की एक प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.03.06 11:18:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: